बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक–सी0, सरदार पटेल भवन, नेहरू पथ, पटना–800023

दूरभाष: 0612 2294201, 2294202, ई–मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

!! कार्यालय आदेश !!

संख्या–01 / स्था0–SDRF–13–01 / 2024.153..... / आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–25-08-26

विज्ञापन सं0–SDRF/01/2025 के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा नियोजन हेतु गठित चयन समिति के द्वारा अनुशंसित एवं चिकित्सीय जाँच में सफल निम्नांकित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन अवर निरीक्षक (कार्यपालक) पद पर संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है :–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	अभ्यर्थी का पता	अनुक्रमांक	मेधा क्रमांक	जन्म तिथि	अनुशंसित कोटि / कोटि
1.	श्री अमलेश कुमार	श्री बिन्देश्वर सिंह	ग्राम–मिर्जापुर, पो0+थाना–किंजर, जिला–अरवल, बिहार, पिन–804423	SI(E)/009	5	08.07.1975	UR / GEN
2.	श्री रणधीर राय	श्री विष्णुदेव राय	ग्राम–रामगामा, पो0–राजाजान, थाना–मोहिउद्दीन नगर, जिला–समस्तीपुर, पिन–848502	SI(E)/084	18	15.02.1978	BC / BC
3.	श्री नवीन कुमार	श्री राम नरेश प्रसाद सिंह	ग्राम–हिरदन विगहा, पो0+थाना–बड़हिया, जिला–लखीसराय, पिन–811302	SI(E)/090	20	01.03.1979	EWS / GEN
4.	श्री वसंत कुमार मंडल	श्री राजेन्द्र मंडल	ग्राम+पो०–भितिया, थाना–फुलिडुमर, जिला–बाँका, पिन–813207	SI(E)/075	69	03.01.1977	MBC / MBC

2. यह नियोजन संविदा के आधार पर "सभी कर्मियों को प्रथमतः 05 वर्षो के लिए नियुक्त किया जायेगा तथा उनकी कार्यदक्षता एवं आचरण के आधार पर आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए अगले 10 वर्षों तक सेवा विस्तार दिया जा सकेगा। परन्तु किसी भी परिस्थिति में कर्मी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवा विस्तार नही दिया जायेगा।

3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन हेतु निर्धारित सत्यापन प्रपत्र में सही सूचना भरकर जमा करना होगा। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी संविदा सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

4. योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. नियोजित कर्मियों को एकमुश्त मानदेय के रूप में ₹41,504 /–(इकतालीस हजार पाँच सौ चार) प्रतिमाह देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6. नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक समझे जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को देय किसी सुविधा के हकदार होंगे।

7. नियोजित कर्मियों को बिना कोई कारण बताये एक माह की पूर्व सूचना के आधार पर नियोजन से हटाया जा सकेगा।

8. नियोजित कर्मियों को किसी प्रकार का कदाचार अथवा अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर उन्हें सेवा से हटाया जा सकेगा।

9. यह नियोजन अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर किया जा रहा है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

10. नियोजित अभ्यर्थी एवं नियुक्ति प्राधिकार के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा संपन्न करना अनिवार्य होगा।

11. अभ्यर्थियों द्वारा फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

12. सभी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 के समक्ष अपना योगदान समर्पित करेंगे।

13. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

विश्वासभाजन

(मो0 नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–01/स्था0–SDRF–13–01/2024 153 /आ0प्र0,   पटना–23, दिनांक– 25-08-24

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–01/स्था0–SDRF–13–01/2024 153 /आ0प्र0,   पटना–23, दिनांक– 25-08-24

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–01/स्था0–SDRF–13–01/2024 153 /आ0प्र0,   पटना–23, दिनांक– 25-08-24

प्रतिलिपि–समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0, बिहटा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–01 / स्था0–SDRF–13–01 / 2024..153...... / आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–25-08-26

प्रतिलिपि–श्री–सभी **संबंधित संविदा नियोजित अवर निरीक्षक (कार्यपालक)** को उनके अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

2. निदेश है कि शैक्षणिक योग्यता, डिस्चार्ज समरी, आवासीय एवं आरक्षण (यदि लागू हों तो) से संबंधित मूल प्रमाण–पत्र एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर निश्चित रूप से समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 के समक्ष अपना योगदान समर्पित करें। निर्धारित अवधि के पश्चात योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

25/8/2018

सरकार के अपर सचिव

फोटोग्राफ